


24.01.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। उभयपक्ष उपस्थित नही आये। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण को पूर्व मे कई बार अन्तिम अवसर दिये जा चुके है। दोनो अधिवक्तागण प्रकरण मे कोई उचित कार्यवाही नही करे रहे। प्रकरण को लंबित स्तर पर रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है प्रार्थी एव अप्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र 251 "ए" अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़



ार्थना
जस्थ
ावत